भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1788

30 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

एफसीआई डिपो

1788. श्री अरूण कुमार सागर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) देश में और अधिक बेस डिपो खोलने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): दिनांक 01.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण हेतु भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) (स्वामित्व वाली-147.19 लाख टन + किराए पर ली गई-323.38 लाख टन) और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल कवर भंडारण क्षमता 821.36 लाख टन है।

(ख) इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (एफसीएआई) में भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्य रूप से चावल और गेहूं की खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के संचालन पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीएआई) भंडारण क्षमता का निरंतर मूल्यांकन और निगरानी करती है और भंडारण अंतर के आंकलन के आधार पर निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं:-

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
2. केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) "भंडारण और गोदाम" (पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित) 2017-25

...2/-

3. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत साइलो का निर्माण
4. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।
5. निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदाम किराए पर लेना
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत एफसीआई के स्वामित्व वाली भूमि पर गोदामों का निर्माण
7. कवर्ड एंड प्लिंथ हायरिंग (सीएपी) योजना -2025
8. 15 वर्षों की लंबी गारंटी अवधि के साथ पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए संशोधित पीईजी योजना

केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत, भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वामित्व वाले गोदामों के निर्माण हेतु केवल भंडारण अंतर के आकलन पर आधारित परियोजनाओं को ही भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया गया था। यह योजना केवल दिनांक 31.03.2025 तक ही मान्य थी।

इस योजना के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे गोदामों का विवरण तथा उनके पूरा होने की अपेक्षित तिथि **अनुलग्नक-क** में संलग्न है।

*****

अनुलग्नक-क

केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) "भंडारण एवं गोदाम" (पूर्वोत्तर पर केंद्रित)

- **पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सीएसएस के अंतर्गत क्षमता निर्माण कार्य प्रगति पर है**

क्रमांक	राज्य	परियोनाओं की संख्या	स्थान	क्षमता (टन)	पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि
1.	असम	2	कोकराझार	15000	निविदा दस्तावेज में शामिल शर्त के अनुसार
			सिल्चर	20000	
	मिजोरम	1	सैरंग	10000	
2.	मिजोरम	1	चंपाइ	3340	
	कुल	**4**		**48,340**	

- **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत क्षमता निर्माण कार्य प्रगति पर है**

क्रमांक	राज्य	स्थान	परियोनाओं की संख्या	क्षमता (टन)	पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि
1.	हिमाचल प्रदेश	मंडी	1	3,340	निविदा दस्तावेज में शामिल शर्त के अनुसार

*****